

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, बूंदी

क्रमांक: AS/AGRI/KHARIF 2081/OSMF 33-50/34

दिनांक: 26/06/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2081/BUN/0009688

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2081 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13187259 दिनांक 24.01.2025 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2081 (खरीफ-2024) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
हिण्डोली	5	Other Than SMF	33%-50%	28815
योग	5			28815

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(10)-01-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
बूंदी

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
बूंदी

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Aay Godara
Date: 2025.06.27 11:39:51 IST
Reason: Self signed



कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी (राजस्थान)

(आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा)

क्रमांक :- सहा0/2025/1184

दिनांक:- 27.6.25

प्रेषित :- श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

जयपुर राजस्थान

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसडीआरएफ मद में डीएमआईएस पोर्टल पर बजट आवंटन की प्रेषित की जा रही मांगों के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- श्रीमान् के कार्यालय का पत्रांक राजकाज नं 14545448 दिनांक 03.04.2025

महोदय

विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि खरीफ फसल सम्वत् 2081 में कृषि आदान-अनुदान अन्तर्गत प्रभावित कृषकों का डाटा डीएमआईएस पोर्टल पर सम्बन्धित तहसीलदारों/पटवारीयों द्वारा अपलोड किए जाने पर इस कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रशासनिक स्वीकृति जारी करते हुए डीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से बजट मांग की गई थी। उक्त प्रशासनिक स्वीकृतियों में से कुछ में बजट प्राप्त हो गया था, परन्तु वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर बजट लैप्स होने, बिल कोष कार्यालय को भिजवाने उपरान्त भी बिल ईसीएस नहीं होने आदि कारणों से सम्बन्धित कृषकों का भुगतान नहीं हो सका है। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र के बिन्दू संख्या 05 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रेषित कर निवेदन है कि लम्बित प्रशासनिक स्वीकृतियों में बजट आवंटन करवाने का श्रम करावें :-

क्र. सं.	खरीफ सम्वत् 2081 फसल खराबा आदान-अनुदान हेतु कुल कृषक लाभार्थियों की संख्या (7 डी अनुसार)	खरीफ सम्वत् 2081 फसल खराबा पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियों		खरीफ सम्वत् 2081 फसल खराबा इस स्वीकृति में लाभार्थियों			मद/गतिविधि में अवशेष लाभार्थियों की संख्या(7-डी के अनुसार अनुमानित)	
		संख्या	राशि रु.	प्रशा. स्वीकृति क्रमांक	संख्या	राशि रु.	संख्या	राशि रु.
1	91542	7919	49070565	AS/AGRI/2081/BUN/0009683	299	2267090	1204	6
2				AS/AGRI/2081/BUN/0009684	3930	22607419	8116	46426924
3				AS/AGRI/2081/BUN/0009685	595	2828268	7521	43598656
4				AS/AGRI/2081/BUN/0009686	2	20655	7519	43578001
5				AS/AGRI/2081/BUN/0009687	137	1326006	7382	42251995
6				AS/AGRI/2081/BUN/0009688	5	28815	7377	42223180

उक्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में निवेदन है कि खरीफ सम्वत् 2081 आदान-अनुदान की कार्यवाही के दिशा-निर्देश जारी होने उपरान्त सम्बन्धित तहसीलदारों से अधिकांश डाटा मार्च माह में प्राप्त होने के कारण तत्पश्चात् ही प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर बजट मांग/भुगतान की कार्यवाही की गई थी। श्रीमान् से निवेदन है उक्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृतियों में बजट आवंटित करवाने का श्रम करावें ताकि भुगतान के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

Validity unknown (Signature Invalid)

प्रभारी अधिकारी (सहायता),
Digitally signed by श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी
Tomar

Designation : Additional Collector And
Additional District Magistrate

Date: 2025.06.27 M:17:18 IST

Reason: Approved

